संख्या–476/XVIII-(2)/2005

प्रेषक,

वी. के. पाठक,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास

देहरादूनः दिनांक 30 मई, 2005

विषयः– वरूणावत पर्वत भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्र में चिन्हित बफर जोन में पूर्ण क्षतिग्रस्त, क्षतिग्रस्त भवन स्वामियों को मूल्यांकन हेतु गठित टीम के मूल्यांकन के पश्चात राहत सहायता वितरित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1105/तेरह–22(04–05) दिनांक 24.2.2004 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वरूणावत पर्वत भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों में चिन्हित बफर जोन में पूर्ण क्षतिग्रस्त एवं क्षतिग्रस्त भवनों हेतु भूमि पर भवन बनाकर रहे अनाधिकृत कब्जेदारियों को राहत सहायता दिये जाने के संबन्ध में मूल्यांकन हेतु गठित टीम द्वारा क्षतिग्रस्त भवनों के मूल्यांकन के पश्चात उपलब्ध कराये गये मांग प्रस्ताव को दृष्टिगत रखते हुये सम्यक विचारोपरान्त कुल रू0 42,14,512/– (रूपये बयालीस लाख चौदह हजार पांच सौ बारह मात्र) की धनराशि के व्यय की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उपरोक्त स्वीकृत धनराशि निम्न प्रतिबन्धों के आधार पर अनाधिकृत कब्जाधारियों को भुगतान की जायेगी।

1– अनाधिकृत कब्जाधरियों को अवसंरचना हेतु ही भुगतान किया जायेगा, अन्य कार्यो हेतु भुगतान नहीं किया जायेगा।

2– अनाधिकृत कब्जाधारियों से समस्त देयों की वसूली कर ही राहत सहायता का भुगतान किया जायेगा।

3– अनाधिकृत कब्जाधारियों से राहत राशि भुगतान करने से पूर्व इस आशय से प्रमाण पत्र लिखित रूप से प्राप्त कर लिया जायेगा कि इनके द्वारा किसी भी क्षेत्र में अवैध कब्जा अब नहीं किया जायेगा।

3– उक्त स्वीकृति धनराशि प्रभावित परिवारों/ व्यक्तियों में मूल्यांकन के आधार पर राहत सहायता तत्काल वितरित की जायेगी। यह दायित्व जिलाधिकारी का होगा कि वे राहत सहायता के भुगतान से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि प्रभावित परिवारों को पूर्व में कोई गृह अनुदान वितरित नहीं किया गया है। यदि वितरित किया है तो वितरित धनराशि मूल्यांकन के आधार पर स्वीकृति धनराशि से कम कर दी जायेगी। प्रभावितों में वितरित धनराशि का परिवार/ ग्रामवार विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 31.3.2006 तक शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

4– स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा जोखा रखा जायें तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिला अधिकारी द्वारा हस्तक्षरित किया जायें। वित्तीय वर्ष में शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचत सम्भावित हो तो उसे दिनांक 31.3.2006 तक

NIC 188

शासन को वापस कर दी जायेगी। उक्त तिथि को उपयोग की गई धनराशि के विपरीत मदवार भुगतान की गई धनराशि का विवरण शासन को दे दिया जायेगा।

5– स्वीकृति धनराशि का गलत वितरण/ उपयोग होने पर जिलाधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा।

6– व्यय धनराशि का कार्यालय महालेखाकार से सही मदों में पुस्तांकन कराया जायें और प्रत्येक तीन माह पर व्यय धनराशि के संबन्ध में कार्यालय महालेखाकार से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जायें ताकि आंकड़ों के मिलान की कार्यवाही का निरन्तर अनुश्रवण होता रहे।

7– विभाग का यह दायित्व होगा कि उक्त भुगतान की अनुमति टास्क फोर्स की बैठक में औपचारिक रूप से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

8– उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक अनुदान संख्या– 6 के अंतर्गत लेखाशीर्षक–4059–लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय–60–अन्य भवन– आयोजनागत– 051– निर्माण–05– वरूणावत पर्वत उत्तरकाशी का स्थिरीकरण (100% के.स.)–00–24–वृहत् निर्माण कार्य की मद के नामे डाला जायेगा।

9– यह आदेश वित्त विभाग के अ.शा. संख्या–270/वित्त अनु0 3/2005 दिनांक 20.5. 2005 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(वी. के. पाठक)
अपर सचिव

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल (लेखा एवं हकदारी) ओबैराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल।
3– अपर सचिव, वित्त एवं व्यय अनुभाग।
4– अपर सचिव, नियोजन विभाग।
5– कोषाधिकारी, उत्तरकाशी।
6– राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
7– निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री कार्यालय।
8– निजी सचिव, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, राज्य आपदा राहत समिति, उत्तरांचल।
9– वित्त अनुभाग–3
10– धन आवंटन संबन्धी पत्रावली।
11– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी. के. पाठक)
अपर सचिव

Varunawat+Sring Desktop

30050005.Pdf